(c) have the Planning Commission specific proposals to strengthen Planning Organisations at the State level?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The Planning process in the country, as it has evolved, involves decisions at various levels—Central Government, some Regional Bodies, State Governments and lower formations. Five Year Plans are finalised after extensive discussion. However, there is need for more decentralisation and local initiative in planning.

Apart from the State level, sub-regional and district levels have to be adequately involved in the planning process. The Planning Commission proposes to encourage the preparation of area plans for integrated rural development at the Block level.

(c) To assist State Governments, in structuring and strengthening their planning organisations, a Central scheme is in operation under which special Central assistance is given to the States for the recruitment of adequately qualified staff and to meet other incidental expenditure for the strengthening of Planning organisations. A sum of Rs. 1·92 crores has been provided so far. More assistance as needed will be provided next year also.

राजभाषा सैल

5982. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1975 में एक स्वतन्त्र राजभाषा सैल की स्थापना की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्या कार्य सौंपे गये और इसकी क्या उपलब्धियां हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह):(क) जी हां । जून, 1975 में, एक सचिव के अधीन, राजभाषा विभाग बनाया गया ।

(ख) इस विभाग को निम्नलिखित काम सौंपे गये हैं :—

(1) संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबन्धों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन (उन उपबन्धों को छोड़ कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है) ।

(2) राज्यों में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग करने प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।

(3) संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले ।

(4) संविधान, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम, 1963, और भाषा के बारे में सरकार के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प के उपबन्धों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से संबंधित कार्य का समन्वय ।

(5) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना ।

(6) केन्द्रीय हिन्दी समिति से सम्बंधित मामले ।

(7) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समिति से सम्बन्धित कार्य का समन्वय ।

(8) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से सम्बंधित मामले ।

विभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण संलग्न है ।